दिनांक 06.03.2024

जेल से अभियुक्तगण तलब होकर आये।

दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण धनन्जय सिंह व सन्तोष विक्रम सिंह के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना गया।

अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को अपहरण/व्यपहरण करके मृत्यु के भय में डाला गया है। जनप्रतिनिधि के द्वारा अपराध कारित किया गया है, इसलिये वे अधिक से अधिक दण्ड के पात्र हैं। धारा 364 भा०दं०सं० के अंतर्गत उन्हें आजीवन कारावास, धारा 386 भा०दं०सं० के अंतर्गत 10 वर्ष का कारावास, धारा 504 भा०दं०सं० के अंतर्गत 2 वर्ष का कारावास, धारा 506 भा०दं०सं० के अंतर्गत 7 वर्ष का कारावास एवं धारा 120 बी के अंतर्गत आजीवन कारावास से दंडित किया जावे।

अभियोजन द्वारा लिखित रूप से भी यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि मामले का वादी अभिनव सिंघल अपने बयानों में सही प्रकार से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में साक्षी के विरुद्ध धारा 344 दं०प्र०सं० की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है।

जबकि इसके विपरीत बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से यह कहा गया कि उनके ऊपर लगाये गये मुकदमें राजनीतिक रंजिश के कारण लगाये गये हैं। मामले में वादी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी तरह की कोई भी चोटें कारित नहीं हुई हैं। विद्वेषपूर्ण राजनीति के अभियुक्तगण शिकार हुए हैं। अभियुक्तगण का चरित्र उत्तम है, जो भी मुकदमें हैं, राजनीति रंजिशवश लगाये गये हैं, जिनमें 28 मुकदमों में उनकी दोषमुक्ति हो चुकी है। एक मुकदमें में उनका उन्मोचन हो चुका है। 4 मुकदमों में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है। 3 मुकदमें सरकार द्वारा वापस लिये गये हैं। अभियुक्त धनन्जय जनप्रतिनिधि हैं। वास्तव में उसके द्वारा शिकायत मिलने पर वादी मुकदमा को नामामि गंगे परियोजना के अंतर्गत किये जाने कार्य की गुणवत्ता के बारे में जानकारी हेतु बुलाया गया था, किसी तरह का कोई अपराध कारित नहीं किया गया था। मामले में अभियुक्तगण का अपराध करने का कोई आशय मौजूद नहीं था। चुनाव होने के कारण चुनावी रंजिश में यह मुकदमा झूठा लगाया गया था। उनके भविष्य में अपराध कारित करने की कोई सम्भावना नहीं है। इसलिये अभियुक्तगण को कम से कम दंड से दंडित किया जाए।

मामले में अभियुक्त धनन्जय सिंह के द्वारा स्वयं बहस के दौरान कथन किया गया कि वह जनप्रतिनिधि हैं। संविधान में उनका विश्वास है। जनप्रतिनिधि होने के कारण उनके पास शिकायतें आती रहती हैं, जिस कारण से प्रशासनिक अधिकारियों व जरुरी लोगों को बुलवाकर उन शिकायतों के निस्तारण हेतु चर्चा की जाती है। उसी हेतु वादी मुकदमा को बुलाया गया था। मामले में उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष समस्त बातें प्रत्येक स्तर पर सही सही बतायी गयी हैं। निश्चित तौर पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जमानत प्रदान करते समय समस्त दस्तावेजों के देखने के पश्चात यह अवधारित किया गया था कि अभियुक्तगण के ऊपर मामला मात्र डराने धमकाने का है। मामले में वादी के द्वारा स्वयं धारा 164 दं०प्र०सं० का बयान देकर घटना से इंकार किया गया है। वादी को बयान देने हेतु उसके द्वारा बहलाया फुसलाया नहीं गया है। वादी के बयान के कारण ही मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी, परन्तु बाद में राजनीतिक दबाब के कारण मामले में

आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण मामले में पूर्व में ही कई माह तक जेल में रहे हैं। जेल में बिताई गयी अवधि ही इस मामले में पर्याप्त सजा के अंतर्गत है। अतः मामले में नरमी बरतते हुए एवं अभियुक्तगण के अच्छे, आचरण, विचार व जनप्रतिनिधि होने का ध्यान रखते हुए उन्हें कम से दण्ड से दंडित किया जाए।

मामले में यह सिद्ध हुआ है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को उसके कार्यक्षेत्र से जबरन अपने घर बुलवाकर पिस्तौल दिखाकर उसे व उसकी कंपनी के लोगों को डराया व धमकाया गया तथा उन पर यह दबाब डाला गया है कि नामामि गंगे परियोजना में मात्र और मात्र अभियुक्तगण का ही गिट्टी व बालू प्रयोग किया जाए, अन्यथा की स्थिति में वादी व कंपनी के लोगों का जीवन खतरे में पड़ जायेगा, परन्तु पूर्ण मामले को देखने से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के द्वारा समर्थ व सक्षम होने के बावजूद भी वादी मुकदमा को घटना के समय व उसके पश्चात किसी तरह की कोई भी शारीरिक हानि नहीं पहुँचायी गयी है। अभियुक्त धनन्जय जनप्रतिनिधि भी हैं तथा दूसरा अभियुक्त सन्तोष विक्रम सिंह उनका सहयोगी है। अभियुक्तगण के खिलाफ दर्ज अधिकाँश मुकदमें दोषमुक्ति, उन्मोचन, फाइनल रिपोर्ट या सरकार द्वारा वापस लिये जाने के आधार पर समाप्त हो चुके हैं। इस न्यायालय के समक्ष भी बुलाये जाने पर अभियुक्तगण दौरान विचारण हाजिर आते रहे हैं।

न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण को धारा 364, 386, 504, 506, 120B भा०दं०सं० के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है।

मामले को देखने से निश्चित तौर पर स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के द्वारा धारा 364 भा०दं०सं० के द्वितीय खण्ड के अंतर्गत अपराध कारित करके वादी मुकदमा को ऐसे व्ययनित किया गया है कि वह हत्या होने के खतरे में पड़ गया है, परन्तु वादी मुकदमा को मामले में किसी तरह की कोई भी शारीरिक चोट नहीं आयी है। अभियुक्त धनन्जय जनप्रतिनिधि हैं।

विधि का यह नियम है कि अपराधी को अपराध के अनुपात के अनुसार दण्डित किया जाए।

आदेश

मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण धनन्जय सिंह व सन्तोष विक्रम सिंह प्रत्येक को निम्न प्रकार के दण्ड से दंडित किया जाता है:-

धारा	कारावास के दण्ड की अवधि	जुर्माना	जुर्माना अदा न करने की स्थिति में कारावास
364 IPC	7 वर्ष का कठोर कारावास	50,000/-	4 माह
386 IPC	5 वर्ष का कठोर कारावास	25,000/-	3 माह
504 IPC	1 वर्ष का कठोर कारावास	10,000/-	1 माह
506 IPC	2 वर्ष का कठोर कारावास	15,000/-	45 दिन
120B IPC	7 वर्ष का कठोर कारावास	50,000/-	4 माह

दिनांक 06.03.2024

जेल से अभियुक्तगण तलब होकर आये।

दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण धनन्जय सिंह व सन्तोष विक्रम सिंह के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना गया।

अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को अपहरण/व्यपहरण करके मृत्यु के भय में डाला गया है। जनप्रतिनिधि के द्वारा अपराध कारित किया गया है, इसलिये वे अधिक से अधिक दण्ड के पात्र हैं। धारा 364 भा०दं०सं० के अंतर्गत उन्हें आजीवन कारावास, धारा 386 भा०दं०सं० के अंतर्गत 10 वर्ष का कारावास, धारा 504 भा०दं०सं० के अंतर्गत 2 वर्ष का कारावास, धारा 506 भा०दं०सं० के अंतर्गत 7 वर्ष का कारावास एवं धारा 120 बी के अंतर्गत आजीवन कारावास से दंडित किया जावे।

अभियोजन द्वारा लिखित रूप से भी यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि मामले का वादी अभिनव सिंघल अपने बयानों में सही प्रकार से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में साक्षी के विरुद्ध धारा 344 दं०प्र०सं० की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है।

जबकि इसके विपरीत बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से यह कहा गया कि उनके ऊपर लगाये गये मुकदमें राजनीतिक रंजिश के कारण लगाये गये हैं। मामले में वादी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी तरह की कोई भी चोटें कारित नहीं हुई हैं। विद्वेषपूर्ण राजनीति के अभियुक्तगण शिकार हुए हैं। अभियुक्तगण का चरित्र उत्तम है, जो भी मुकदमें हैं, राजनीति रंजिशवश लगाये गये हैं, जिनमें 28 मुकदमों में उनकी दोषमुक्ति हो चुकी है। एक मुकदमें में उनका उन्मोचन हो चुका है। 4 मुकदमों में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है। 3 मुकदमें सरकार द्वारा वापस लिये गये हैं। अभियुक्त धनन्जय जनप्रतिनिधि हैं। वास्तव में उसके द्वारा शिकायत मिलने पर वादी मुकदमा को नामामि गंगे परियोजना के अंतर्गत किये जाने कार्य की गुणवत्ता के बारे में जानकारी हेतु बुलाया गया था, किसी तरह का कोई अपराध कारित नहीं किया गया था। मामले में अभियुक्तगण का अपराध करने का कोई आशय मौजूद नहीं था। चुनाव होने के कारण चुनावी रंजिश में यह मुकदमा झूठा लगाया गया था। उनके भविष्य में अपराध कारित करने की कोई सम्भावना नहीं है। इसलिये अभियुक्तगण को कम से कम दंड से दंडित किया जाए।

मामले में अभियुक्त धनन्जय सिंह के द्वारा स्वयं बहस के दौरान कथन किया गया कि वह जनप्रतिनिधि हैं। संविधान में उनका विश्वास है। जनप्रतिनिधि होने के कारण उनके पास शिकायतें आती रहती हैं, जिस कारण से प्रशासनिक अधिकारियों व जरुरी लोगों को बुलवाकर उन शिकायतों के निस्तारण हेतु चर्चा की जाती है। उसी हेतु वादी मुकदमा को बुलाया गया था। मामले में उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष समस्त बातें प्रत्येक स्तर पर सही सही बतायी गयी हैं। निश्चित तौर पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जमानत प्रदान करते समय समस्त दस्तावेजों के देखने के पश्चात यह अवधारित किया गया था कि अभियुक्तगण के ऊपर मामला मात्र डराने धमकाने का है। मामले में वादी के द्वारा स्वयं धारा 164 दं०प्र०सं० का बयान देकर घटना से इंकार किया गया है। वादी को बयान देने हेतु उसके द्वारा बहलाया फुसलाया नहीं गया है। वादी के बयान के कारण ही मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी, परन्तु बाद में राजनीतिक दबाब के कारण मामले में

आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण मामले में पूर्व में ही कई माह तक जेल में रहे हैं। जेल में बिताई गयी अवधि ही इस मामले में पर्याप्त सजा के अंतर्गत है। अतः मामले में नरमी बरतते हुए एवं अभियुक्तगण के अच्छे, आचरण, विचार व जनप्रतिनिधि होने का ध्यान रखते हुए उन्हें कम से दण्ड से दंडित किया जाए।

मामले में यह सिद्ध हुआ है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को उसके कार्यक्षेत्र से जबरन अपने घर बुलवाकर पिस्तौल दिखाकर उसे व उसकी कंपनी के लोगों को डराया व धमकाया गया तथा उन पर यह दबाब डाला गया है कि नामामि गंगे परियोजना में मात्र और मात्र अभियुक्तगण का ही गिट्टी व बालू प्रयोग किया जाए, अन्यथा की स्थिति में वादी व कंपनी के लोगों का जीवन खतरे में पड़ जायेगा, परन्तु पूर्ण मामले को देखने से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के द्वारा समर्थ व सक्षम होने के बावजूद भी वादी मुकदमा को घटना के समय व उसके पश्चात किसी तरह की कोई भी शारीरिक हानि नहीं पहुँचायी गयी है। अभियुक्त धनन्जय जनप्रतिनिधि भी हैं तथा दूसरा अभियुक्त सन्तोष विक्रम सिंह उनका सहयोगी है। अभियुक्तगण के खिलाफ दर्ज अधिकाँश मुकदमें दोषमुक्ति, उन्मोचन, फाइनल रिपोर्ट या सरकार द्वारा वापस लिये जाने के आधार पर समाप्त हो चुके हैं। इस न्यायालय के समक्ष भी बुलाये जाने पर अभियुक्तगण दौरान विचारण हाजिर आते रहे हैं।

न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण को धारा 364, 386, 504, 506, 120B भा०दं०सं० के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है।

मामले को देखने से निश्चित तौर पर स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के द्वारा धारा 364 भा०दं०सं० के द्वितीय खण्ड के अंतर्गत अपराध कारित करके वादी मुकदमा को ऐसे व्ययनित किया गया है कि वह हत्या होने के खतरे में पड़ गया है, परन्तु वादी मुकदमा को मामले में किसी तरह की कोई भी शारीरिक चोट नहीं आयी है। अभियुक्त धनन्जय जनप्रतिनिधि हैं।

विधि का यह नियम है कि अपराधी को अपराध के अनुपात के अनुसार दण्डित किया जाए।

आदेश

मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण धनन्जय सिंह व सन्तोष विक्रम सिंह प्रत्येक को निम्न प्रकार के दण्ड से दंडित किया जाता हैः–

धारा	कारावास के दण्ड की अवधि	जुर्माना	जुर्माना अदा न करने की स्थिति में कारावास
364 IPC	7 वर्ष का कठोर कारावास	50,000/-	4 माह
386 IPC	5 वर्ष का कठोर कारावास	25,000/-	3 माह
504 IPC	1 वर्ष का कठोर कारावास	10,000/-	1 माह
506 IPC	2 वर्ष का कठोर कारावास	15,000/-	45 दिन
120B IPC	7 वर्ष का कठोर कारावास	50,000/-	4 माह

अभियुक्तगण का सजायावी वारंट बनाकर उन्हें दण्ड को भुगतने हेतु जिला कारागार भेजा किया जाए तथा निर्णय की एक प्रति अधीक्षक, जिला कारागार जौनपुर को प्रेषित की जाये।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी। सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437 दं०प्र०सं० का पालन किया जा चुका है, **जो मियाद** अपील तक बना रहेगा।

निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जाए।

अभियोजन के द्वारा दिये गये वादी के खिलाफ धारा 344 दं०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र के बाबत इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियुक्तगण निश्चित तौर पर सांसद/विधायक/सक्षम व्यक्ति थे, जिनके खिलाफ वादी मुकदमा के द्वारा घटना के तुरन्त बाद मुकदमा दर्ज कराया गया। विवेचना के आरंभिक दौर में उसके द्वारा मामले का समर्थन भी किया गया। वादी मुकदमा निश्चित तौर पर एक सामान्य कंपनी का कर्मचारी था। न्यायालय की राय में बाद में नौकरी, परिवार व भविष्य की चिन्ताओं के मद्देनजर उसके द्वारा पूर्ण रूप से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया, परन्तु घटना के मूल तथ्यों को उसके द्वारा साबित किया गया है। अतः न्यायालय के निष्कर्ष में ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ धारा 344 दं०प्र०सं० की कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होता है, परन्तु न्यायालय आरोपित अर्थदण्ड में उसे प्रतिकर पाने से वंचित करती है।

(**शरद कुमार त्रिपाठी**) 6/3/24

<u>दिनांकः–06.03.2024</u>

अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/
विशेष न्यायाधीश एम०पी०/एम०एल०ए०,
जौनपुर।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

(**शरद कुमार त्रिपाठी**) 6/3/24

<u>दिनांकः–06.03.2024</u>

अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/
विशेष न्यायाधीश एम०पी०/एम०एल०ए०,
जौनपुर।